अपील सूचना अधिकार संख्या 19/2021 (RCMS 2021/39) (RTI No. 212134705496740) मुकन्द सिंह पुत्र हरनेक सिंह गांव 5 केएसडी पोओ. सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (पो.ऑ. 69[illegible]014525) बनाम प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुकन्द सिंह उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2021 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाही थी जो प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जुर्माना लगाने व कानूनी कार्यवाही करने और सूचनाएं दिलवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

> प्रार्थी द्वारा आपके कार्यालय में अप्रार्थी मनीराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के परिवाद दिया था। उस पर आपके कार्यालय व सम्बन्धित कार्यालय द्वारा जो कानूनी कार्यवाही की गई है उसकी प्रमाणित कॉपी देने व दिलवाने का कष्ट करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:12 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी [illegible] अधिकारी, राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर [illegible](11)()राजस्व(आरटीआई)/2019 /1079 दिनांक 03.03.2021 से प्रार्थी को [illegible]नानुसार जवाब प्रेषित [illegible] है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आवेदन के क्रम में लेख है कि प्रकरण न्यायायल में विचाराधीन होने के कारण इस कार्यालय में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हे। सूचनार्थ प्रेषित हैं
>
> **संलग्न : उपरोक्तानुसार।**
>
> -sd-
>
> लोक सूचना अधिकारी
> (प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा)
> कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ12(11)()राजस्व(आरटीआई)/2019/2019 दिनांक 06.04.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक 170 दिनांक 03.03.2021 से अवगत करवाया है कि प्रकरण में श्री मुकंद सिंह आदि प्रतिवादी श्री मनीराम बनाम जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रायसिंहनगर का वाद संख्या 48/2008 माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर में विचाराधीन होने तथा परिवादी श्री मुकुंद सिं[illegible] एक ही प्रकरण में बार–बार शिकायतें करने पर तहसीलदार, रायसिंहनगर से जांच करवाई गई है, जो सारहीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1079 दिनांक 03.03.2021 से अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया था कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस कार्यालय से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति इस पत्र के संलग्न प्रेषित है।

-sd-
प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं का जवाब प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 1079 दिनांक 03.03.2021 से उक्तानुसार अपीलार्थी को दिया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप [illegible] लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों [illegible] कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान [illegible] अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत कि[illegible] लोक सूचना अधिकारी को किसी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है। लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को जो उत्तर दिया है, वह सही है। उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:12 IST
Reason: SelfAttested